Gmail

Mahesh Pratap Singh <yogimpsingh@gmail.com>

11-02-2026

Mahesh Pratap Singh <yogimpsingh@gmail.com> 11 February 2026 at 11:38
To: SHAKUNTALA GAUTAM <hearingcourts9.upic@up.gov.in>
Cc: nagarvikassection6 <nagarvikassection6@gmail.com>

ADDENDUM TO THE SECOND APPEAL REPRESENTATION

Case Number: S-09/A/1383/2025

Registration Number: A-20250600374

In the Matter of: Yogi M. P. Singh vs. PIO, Nagar Vikas Vibhag, Section-6, Lucknow

1. Subject: Exposure of Arbitrary State Intervention and Jurisdictional Evasion

This Addendum is filed to formally record the tactical misdirection employed by the Respondent to shield a multi-crore land scandal involving the Lions Club lease. The Appellant highlights a "Circular Accountability Gap" created by the State Government to bypass transparency.

2. The State-Level Arbitrary Decision

- **Bypassing Local Autonomy:** The Municipality Board of Mirzapur—the autonomous local body—formally passed a resolution to **cancel the lease** of the land in question.
- **Arbitrary Overrule:** The Government of Uttar Pradesh (Nagar Vikas Vibhag) unilaterally overruled this local board decision, extending the lease for **30 years** at a nominal, non-commercial rate of **₹50 per annum**.
- **Holder of Information:** Since the decision to "overrule" was made by the State Government, the **primary files, ministerial approvals, and departmental notings** are held exclusively at the **Nagar Vikas Vibhag, Section-6, Lucknow**.

3. Rejection of the "Forwarding" Tactic

- **The Ping-Pong Maneuver:** The PIO (Nagar Vikas, Lucknow) has attempted to "forward" the RTI to the District Level (Mirzapur).
- **The District's Limitation:** The District authorities have rightly stated that the decision-making authority lies with the **Government of Uttar Pradesh**.
- **Intentional Misdirection:** By transferring the request **177 days late** to a subordinate office that did not make the decision, the PIO is committing a statutory fraud.

4. Specific Points for Commission's Intervention

The Appellant urges the Hon'ble Commission to take note of the following:

- **Point 1:** The PIO, Lucknow, cannot "outsource" the explanation for a State-level arbitrary decision to a District office that has no access to Cabinet or Departmental secretariats.
- **Point 2:** The "information provided" by Mirzapur (referenced in the PIO's letter No. 90) is a procedural distraction and does not address the **5 points** regarding the State's rationale for the lease extension.

5. Final Prayer in Addendum

1. **Quash the Transfer:** Treat the transfer to Mirzapur as null and void for the purpose of the 5 points of information.
2. **Direct PIO Lucknow:** Order the PIO, Nagar Vikas Vibhag Anubhag-6, to provide the **original file notings and correspondence** that authorized the bypassing of the Mirzapur Municipality Board.
3. **Penalize the Delay:** Impose the maximum penalty on the PIO, Lucknow, for the 177-day delay and for providing misleading representations to the Commission.

Respectfully Submitted,

Yogi M. P. Singh (Appellant)

Date: February 11, 2026

On Wed, 11 Feb 2026 at 11:32, Mahesh Pratap Singh <yogimpsingh@gmail.com> wrote:

> ## REPRESENTATION BEFORE THE STATE INFORMATION COMMISSION, U.P.
>
> **Case Number:** S-09/A/1383/2025 **Registration Number:** A-20250600374
> **Appellant:** Yogi M. P. Singh **Respondent:** PIO, Nagar Vikas Vibhag, Anubhag-6, Lucknow
>
> **Subject: Final Submission for Imposition of Penalty and Disclosure of Information regarding the Multi-Crore Lions Club Lease Scandal.**
>
> ### 1. Statement of Facts & Corruption Allegations
>
> - The Appellant sought information via an RTI application dated **02/02/2025** regarding the decision of the Nagar Vikas Vibhag to extend a lease for public land.
> - The Municipality of Mirzapur City had previously passed a proposal to **cancel the lease** of high-value public land.
> - It is alleged that the State Government's Urban Development Department (Section-6) overruled this autonomous local body to extend the lease for **30 years at a nominal rate of ₹50 per annum**.

- The documents proving the rationale for this extension are held specifically by the **Lucknow office (Section-6)** and not the local Mirzapur office.

2. Proof of Malafide Intent & Statutory Violations

The Appellant submits that the PIO has acted with "malafide intent" to shield corruption through deliberate delays:

- **Initial Default:** The PIO failed to provide any response within the 30-day statutory deadline (04/03/2025).
- **Extreme Delay in Transfer:** The PIO transferred the RTI application to the DM Office, Mirzapur, on **29/08/2025**—a delay of **177 days**.
- **Misdirection:** The PIO claims information was provided by the Nagar Palika Parishad, Mirzapur, on 08/07/2025. However, the specific "overruling orders" and "policy files" created by the State Government in Lucknow have been willfully withheld.

3. Prayer to the Commission

In light of the documented statutory failures and the gravity of the alleged land scandal, the Appellant prays:

1. **Impose Maximum Penalty:** Initiate proceedings under **Section 20(1)** of the RTI Act against PIO Shri Ravindra Singh for the 177-day delay.
2. **Disciplinary Action:** Recommend action against the FAA under **Section 20(2)** for failure to entertain the first appeal.
3. **Direct Disclosure:** Set aside the "transfer" to Mirzapur as an act of evasion. Direct the PIO, Lucknow, to provide all **5 points** of information, specifically the files concerning the **Government's decision to extend the Lions Club lease**, within 3 days.

Appellant: Yogi M. P. Singh, Mobile number: 7379105911

Date: 11/02/2026

On Thu, 22 Jan 2026 at 16:03, SHAKUNTALA GAUTAM <hearingcourts9.upic@up.gov.in> wrote:

> आपके वाद संख्या A-20250600374 की ऑनलाइन सुनवाई हेतु माध्यम/ लिंक है : https://upsic.up.gov.in/cispu/onlinehearing/8cbe45 उक्त वाद संख्या A-20250600374 की ऑनलाइन सुनवाई दिनांक 11/02/2026 समय 12:30 PM बजे से 02:00 PM बजे तक की जाएगी | - CATS UPSIC

RTI Online

An initiative of
Uttar Pradesh Government

Registration Number	DOUDV/R/2025/60046
Name	Yogi M P Singh
Date of Filing	02/02/2025
Status	REQUEST TRANSFERRED TO OTHER PUBLIC AUTHORITY as on 29/08/2025
Details of Public Autority :- DISTRICT MAGISTRATE OFFICE MIRZAPUR. vide registration number :- DMOMR/R/2025/80069 respectively. Note:- Further details will be available on viewing the status of the above-mentioned new request registration number.	
PIO Details	
PIO NAME	Ravindra singh NV-6
Desinnation	Under secretary
Mobile	945441XXXX View
Email	sonagarvikas6[at]gmail[dot]com
Nodal Officer Details	
Name	Paras Nath
Mobile	945441XXXX View

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-6
संख्या- 90 सू0अ0/नौ-6-2025
लखनऊ दिनांक 03 दिसम्बर, 2025

मा0पीठासीन अधिकारी
सु0कक्ष संख्या-एस-9,
सूचना आयोग,उ0प्र0,
लखनऊ।

कृपया अपने नोटिस संख्या-202511SO9N300404, दिनांक 19.11.2025, अपील संख्या- S09/A/1383/2025, पंजीकृत संख्या- A-20250600374 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा श्री योगी एमपी सिंह, मिर्जापूर द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत द्वितीय अपील दिनांक- 08.06.2025 के संबंध में दिनांक 09.12.2025 को सुनवाई निर्धारित की गई है। उपर्युक्त अपील में दिनांक 06.10.2025 की सुनवाई में मा0आयोग द्वारा पारित आदेश के क्रम में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 व उ०प्र० सूचना का अधिकार नियमावली, 2015 के नियमों व प्रावधानों के अनुसार अपीलार्थी को उसके सूचना आवेदन के क्रम में वांछित सूचना नियत तिथि से पूर्व अपीलार्थी को उपलब्ध कराने तथा अपीलार्थी को उपलब्ध करायी गयी सूचना की प्रति मय प्रेषण साक्ष्य के साथ लिखित अभिकथन नियत सुनवाई तिथि पर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये है।

2- अवगत कराना है कि **पीठासीन अधिकारी, सु0एस-6, मा0सूचना आयोग,लखनऊ की नोटिस संख्या--202506S06 N200484,दिनांक 25.06.2025 अपील संख्या-S06/A/1204/2025, पंजीकृत संख्या-A-20240700674 दिनांक-25.06.2025 नगर विकास अनुभाग-6 को दिनांक-25.06.2025 को प्राप्त हुई थी,** जिसके द्वारा योगी एमपी सिंह, सुरेकापुरम कॉलोनी जबलपुर रोड मिर्जापुर सिटी जनपद- मिर्जापुर-231001 द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत द्वितीय अपील दिनांक- 09.07.2024 के संबंध में दिनांक 27-06-2025 को सुनवाई निर्धारित की गई है। उपर्युक्त अपील में दिनांक 09.07.2024 की सुनवाई में मा0आयोग द्वारा पारित आदेश की प्रति संलग्न करते हुए उक्त आदेश के क्रम में वांछित कार्यवाही पूर्ण करते हुए आगामी सुनवाई दिनांक 27.06.2005 हेतु निर्धारित तिथि से दो दिन पूर्व अपना लिखित कथन (ईमेल **hearingcourtts6.upic@up.gov.in**) अथवा विभागीय पोर्टल पर (https//upsic.gov.in/) पर स्कैन करते हुए पी0डी0एफ0के फॉरमेट में मा0राज्य सूचना आयोग आयुक्त, सुनवाई कक्ष संख्या एस-6 के समक्ष कृत कार्यवाही की आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है।

3- उक्त मा0आयोग के प्राप्त निर्देश के अनुपालन में मा0 उ0प्र0सूचना की नोटिस दिनांक-25.06.2025 के संबंध में आगामी सुनवाई दिनांक 27.06.2005 में अपना लिखित कथन **(ईमेल hearingcourtts6.upic@up.gov.in)** अथवा विभागीय पोर्टल पर (https//upsic.gov.in/) पर स्कैन करते हुए पी0डी0एफ0के फॉरमेट में मा0राज्य सूचना आयोग आयुक्त, सुनवाई कक्ष संख्या एस-6 के समक्ष कृत कार्यवाही की आख्या प्रस्तुत करने के हेतु उक्त सुनवाई में निर्धारित तिथि एवं समय में उपस्थिति होने हेतु जन सूचना अधिकारी, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मिर्जापुर को कार्यालय के पत्र संख्या-32सू0अ0/नौ-6-2025,दिनांक- 26 जून, 2025 प्रेषित किया गया है एवं उक्त की प्रति **पीठासीन अधिकारी, सु0एस-6, मा0** सूचना आयोग उ0प्र0,लखनऊ तथा आवेदक को भी पृष्ठांकित की गयी है।

4- उक्त के क्रम में जन सूचना अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मीरजापुर के पत्र संख्या-114/ज0सू0अ0/2025-26,दिनांक- 08.07.2025(प्रति-संलग्न) के माध्यम से आवेदक द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राप्त पत्र के संबंध में कार्यवाही करते हुए आवेदक एवं **पीठासीन अधिकारी, सुनवाई कक्ष संख्या-6,उ0प्र0सूचना आयोग,उ0प्र0,लखनऊ** को प्रेषित की गयी है। इस प्रकार आवेदक को सूचना प्रदान कर दी गयी है।

5- अतएव उपर्युक्त प्राप्त नोटिस दिनांक 19.11.2025 में प्राप्त निर्देशों के क्रम में जन सूचना अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मीरजापुर के पत्र संख्या-114/ज0सू0अ0/2025-26,दिनांक- 08.07.2025 की प्रति संलग्न कर प्रेषित

करते हुए अनुरोध है कि प्रकरण को निस्तारित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त

(पंकज कुमार सिंह)
अनुभाग अधिकारी /जन सूचना अधिकारी

संख्या एवं दिनांक- तदैव

प्रतिलपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 जन सूचना अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मीरजापुर।

2 श्री योगी एमपी सिंह, सुरेकापुरम कॉलोनी जबलपुर रोड मिर्जापुर सिटी जनपद- मिर्जापुर-231001 (yogimpsingh@gmail.com)

संलग्नक-यथोक्त

(पंकज कुमार सिंह)
अनुभाग अधिकारी /जन सूचना अधिकारी

शकुन्तला गौतम, मा0 राज्य सूचना आयुक्त, सुनवाई कक्ष एस–9

अपील संख्या एस 09 / ए / 1383 / 2025

ओमी एम0पी0 बनाम ज0सू0अ0 कार्यालय नगर विकास विभाग अनुभाग–6 जनपद लखनऊ.

आदेश

कम्प्लेन्ट व अपील ट्रैकिंग सिस्टम(CATS) के माध्यम से पंजीकृत की गयी अपील प्रस्तुत हुई। प्रस्तुत अपील मे दिनांक 06.10.2025 की सुनवाई हेतु उभयपक्षों को उनके ई–मेल पर दिनांक 24.09.2025 को नोटिस प्रेषित की गयी। आज पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। उभयपक्ष अनुपस्थित हैं।

प्रश्नगत अपील में दिनांक 18.08.2025 की सुनवाई पर आयोग द्वारा विपक्षी जनसूचना अधिकारी कार्यालय नगर विकास विभाग, अनुभाग–6, जनपद लखनऊ को अपीलार्थी के सूचना आवेदन के कम में वांछित सूचना उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये थे तथा अपीलार्थी को भी अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये थे, परन्तु उभयपक्ष अनुपस्थित हैं।

उपरोक्त स्थिति में विपक्षी जनसूचना अधिकारी कार्यालय नगर विकास विभाग, अनुभाग–6, जनपद लखनऊ को आयोग के पूर्व आदेश संलग्न कर इस आशय की नोटिस प्रेषित की जाये कि वह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 व उ0प्र0 सूचना का अधिकार नियमावली, 2015 के नियमों व प्रावधानों के अनुसार अपीलार्थी को उसके सूचना आवेदन के कम में वांछित सूचना नियत तिथि से पूर्व अपीलार्थी को उपलब्ध करायी जाये तथा अपीलार्थी को उपलब्ध करायी गयी सूचना की प्रति मय प्रेषण साक्ष्य के साथ लिखित अभिकथन नियत सुनवाई तिथि पर आयोग के समक्ष प्रस्तुत की जाये।

अपीलार्थी को भी इस आशय की नोटिस प्रेषित की जाये कि वह उ0प्र0 सूचना का अधिकार नियमावली, 2015 के नियम 9(1) के तहत नियत सुनवाई तिथि पर आयोग के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

पत्रावली वास्ते सुनवाई दिनांक 09.12.2025 को पेश हों।

06.10.2025

शकुन्तला गौतम, राज्य सूचना आयुक्त उ0प्र0, सुनवाई कक्ष एस–9

अपील संख्या एस 09/ए/1383/2025

श्री योगी एमपी सिंह बनाम ज0सू0अ0 कार्यालय नगर विकास विभाग अनुभाग–6, लखनऊ

आदेश

कम्प्लेन्ट व अपील ट्रैकिंग सिस्टम(CATS) के माध्यम से पंजीकृत द्वितीय अपील आज सुनवाई हेतु पत्रावली प्रस्तुत हुयी। दिनांक–18.08.2025 की सुनवाई हेतु उभयपक्षों को ई–मेल से दिनांक–08.08.2025 को नोटिस प्रेषित की गयी तथा वीडियो कान्फ्रेंसिंग की सुनवाई हेतु लिंक प्रेषित किया गया। पुकार करायी गयी। उभयपक्ष अनुपस्थित है।

विपक्षी जनसूचना अधिकारी कार्यालय नगर विकास विभाग अनुभाग–6, लखनऊ को आज पारित आदेश की प्रति के साथ अपीलार्थी के आवेदन पत्र 6(1) की प्रति संलग्न कर नोटिस प्रेषित की जाये कि वह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 व उ0प्र0 सूचना का अधिकार नियमावली, 2015 के नियमों व प्रावधानों के अनुसार अपीलार्थी के आवेदन पत्र का निस्तारण करते हुए नियत तिथि से पूर्व निस्तारण आख्या/सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए निस्तारण आख्या/सूचना की प्रति व सूचना प्रेषण के साथ लिखित अभिकथन नियत तिथि से पूर्व आयोग को उपलब्ध करायी जाये।

अपील में अपीलार्थी को पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित की जाये।

पत्रावली वास्ते सुनवाई दिनांक–06.10.2025 को पेश हो।

18.08.2025